

नैतिक अभिवृत्ति / राजनीतिक अभिवृत्ति

नैतिक अभिवृत्ति :-

किसी व्यक्ति का नैतिक विषयों जैसे नैतिक मूल्यों, नैतिक मुद्दों, नैतिक निर्णयों, नैतिक सिद्धांतों आदि के बारे में धारणा, विचार, विश्वास, समझ (संज्ञानात्मक) पसंद या नापसंद का भाव (भावनात्मक पक्ष) तथा अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करने की तत्परता (व्यवहारत्मक पक्ष) को नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे - जो प्रेम्पेडिक्म को मानता हो - जिस कर्म से फायदा हो वह कर्म नैतिक है भले ही वह कर्म अपने आप में गलत भी क्यों ना हो (अमेरिका - इजराइल युद्ध)

- गांधी के मतानुसार साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना आवश्यक है वे जीवन में सत्य और अहिंसा के अनुसार आचरण की बात करते हैं अतः जो व्यक्ति गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित है उसे बहुत अधिक पसंद करता है तो वह उनके अनुसार आचरण भी करेगा।

इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिकतावाद में विश्वास रखता है वह "खाओ-पियो मौज उड़ाओ" की अवधारणा को स्वीकार करेगा। जीवन में अर्थकाम को महत्व देगा।

नैतिक अभिवृत्ति में किसी घटना, समस्या, मुद्दे या सिद्धांत आदि के संबंध में पक्षों या नापक्षों का भाव रखते हुए ठीक या अशुचित का निर्धारण करते हैं।

नैतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक :-

1- परिणामिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक :-

परिवार - (माता-पिता, सगे संबंधी) मित्र, समाज (सामाजिकीकरण, शिबिर सोसाइटी, मीडिया, विभिन्न सामाजिक संगठन) शैक्षणिक संस्थाएँ, अध्यापक आदि व्याक्ति के नैतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं।

2. धार्मिक कारक :-

व्याक्ति के नैतिक अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न धर्मों में बुनियादी तौर पर मूल्यों की ही बात की गई है।

इसी तन्पर्य में गोष्ठी विभिन्न धर्मों में बुनियादी एकता को स्वीकार करते हैं।

3. विकास का प्रभाव :-

विकास के परिणाम स्वरूप भी व्याक्ति के विचार और परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन होता है जैसे लिंग समानता, प्रकृति प्रेम आदि।

आर्थिक कारक :-

कई बार आर्थिक कारकों जैसे महंगाई में व्यक्ति के नैतिक अभिवृत्ति में परिवर्तन आता है।

प्रशासकों की नैतिक अभिवृत्ति :-

सुशासन और नैतिक शासन की अवधारणा को साकारित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों में नैतिक मूल्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। जैसे Topic-3 देखें!

राजनीतिक अभिवृत्ति :-

किसी राजनीतिक विषय जैसे राजनीतिक विचारधारा (उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद) शासन प्रणाली (लोकतंत्र, धर्म तंत्र, राजतंत्र आदि) संसदीय या अद्वैत शासन प्रणाली चुनाव प्रणाली (E.V.M, Waller paper, Notv, दल बदल की व्यवस्था) आरक्षण, CAA, राजनीतिक दल के नेता और उनके सिद्धांत आदि के बारे में विचार, विश्वास, धारणा (संज्ञानात्मक पक्ष) पसंद या नापसंद (भावनात्मक पक्ष) तथा उनके अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करने की तत्परता (व्यवहारात्मक पक्ष) के समुच्चय को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं।

राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक :-

- परिवार, समाज, मीडिया (प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) सिविल सोसाइटी, चुनावी मुद्दों, चुनावी घोषणापत्र, चुनावी वाद-विवाद (अमेरिका के राष्ट्रपति के चयन में USA में डिबेट) चुनावी नारे, नेताओं का व्यक्तित्व, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्माण, विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रशासकों की राजनीतिक अभिवृत्ति :-

प्रशासनिक अधिकारी व्यावस्थित रूप से चाहे किसी भी राजनीतिक दल को पसंद करता हो उसे सार्वजनिक रूप से किसी दल या नेता के पक्ष या विपक्ष में कानूनी रूप से गलत कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए उसे अपना कार्य जैरे राजनीतिक ढंग से करना चाहिए। उसमें राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। जैसे राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, धरना, प्रदर्शन आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देना चाहिए।

अभिवादी और विश्वास में अंतर :-

अभिवादी

- 1- अभिवादी में तीन घटक हैं-
 - (i) संज्ञानात्मक
 - (ii) भावात्मक
 - (iii) व्यवहारात्मक
2. अभिवादी का भावों और संवेगों के घनिष्ठ संबंध है।
3. इसमें प्रमाणात्मक तत्व होता है।
4. इसका प्रयोजन एवं उद्देश्य होता है।
5. सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है।

विश्वास

- 1- विश्वास अभिवादी के संज्ञानात्मक घटक से संबंधित है।
2. विश्वास में ऐसा संबंध आवश्यक नहीं है।
3. विश्वास में इसका अभाव होता है।
4. प्रापः इसका अभाव होता है।
5. इसमें तटस्थता की स्थिति होती है।